

महोदय वनाय निवा 18/1/2021

14.6.21

पत्रावली पैरा 50 / वकील प्रार्थी उपाधेय है / वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रशासन गैरों के लिए अज्ञान 2021 के प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को लाभ शुद्ध कर दी गयी है। प्रकल्प के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं पाएगी। नया प्रकल्प को रद्द कर लेट पर नोट प्रेम करता हूँ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकल्प के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं पाएगी तथा नोट प्रेम करने में प्रकल्प को रद्द कर लेट पर नोट प्रेम करने वाले के अन्तर्गत नोट प्रेम है। प्रशासन के मसल शुद्ध होकर नम्बर में कम की जाते। निर्णय सरे अजलास 13/1/2021।

दूसरा प्रशासन
के माध्यम
कादेश से
संशोधन
पत्र
काम को
कार्यवाही
पाएगी
Not press
14/6/2021

सहायक कलक्टर (S.D.O.)

